

प्रेस नोट दिनांक-27.11.2024

(आपरेशन कन्विकशन)

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह (III) (एएसजे कक्ष संख्या-1) जनपद चन्दौली द्वारा 06 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सजा व 18000-18000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3-3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। व (7.संतोष पुत्र मंगला 8. विनोद पुत्र मंगला-पत्रावली किशोर न्यायबोर्ड को प्रेषित)।

थाना बबुरी के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 23.03.2002 को धारा 147,149,323,325,304,504,506 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मंगला पुत्र जीउत 2.कैलाश पुत्र जीउत 3.भगवान दास पुत्र रामचरन 4.छोटे लाल पुत्र रामचरन 5.मुन्नू राम पुत्र रामकृत 6. बहादुर पुत्र रामकृत (7.संतोष पुत्र मंगला 8. विनोद पुत्र मंगला-पत्रावली किशोर न्यायबोर्ड को प्रेषित) निवासीगण धनेजा थाना बबुरी जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या-21/2002 धारा 147,149,323,325,304,504,506 भादवि थाना बबुरी में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व 1.श्री संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) व थाना बबुरी के पैरोकार का0 सत्यप्रकाश की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 26.11.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह (III) (एएसजे कक्ष संख्या-1) एएसजे कक्ष संख्या-1 द्वारा अभियुक्तगण 1.मंगला पुत्र जीउत 2.कैलाश पुत्र जीउत 3.भगवान दास पुत्र रामचरन 4.छोटे लाल पुत्र रामचरन 5.मुन्नू राम पुत्र रामकृत 6. बहादुर पुत्र रामकृत 10-10 वर्ष की सजा व 18000-18000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3-3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। व (7.संतोष पुत्र मंगला 8. विनोद पुत्र मंगला-पत्रावली किशोर न्यायबोर्ड को प्रेषित)।